न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 138/2019 (18/2015)
GCMS NO. : 2015/00156

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. बरकतअली पुत्र जमाल जाति रंगरेज मुसलमान निवासी चावण्डियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली।		1. चाँदमोहम्मद वल्द जमाल जाति रंगरेज मुसलमान निवासी चावण्डिया तहसील जैतारण जिला पाली। 2. तहसीलदार, जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थितः–

1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 22/09/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चावण्डिया में कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 2–2 बीघा, खसरा नम्बर 542 रकबा 0–1 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 543 रकबा 9–10 बीघा आई हुई है जो भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के शामलाती है। जिसका बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस नहीं हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की दावा के साथ पेश है तथा नक्शा ट्रेस भी दावे के साथ पेश है। समस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है व इसी कदर मौके पर कब्जा व काश्त है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्से मुजब कब्जा व काश्त है। वादी अपने हिस्से में भूमि की तरक्की करना चाहता है तथा खद व मिट्टी डालकर अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है। परन्तु भूमि शामलाती होने से सही उपयोग व उपभोग करने में कठिनाई आती है। प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि व लगान का बंटवाड़ा करवाने का कहा तो दिनांक 11.02.2015 को ग्राम चावण्डिया में इन्कार हो गये। प्रतिवादी संख्या 1 शामलाती भूमि को बिना वादी की ईजाजत के बैचान, हस्तांतरण करने पर आमादा है जबकि शामलाती भूमि को बैचान करने का कोई अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं है। अगर शामलाती भूमि को बिना वादी की सहमति के बैचान कर दिया तो विविध मुकदमें बाजी होगी तथा [illegible] से जैर बार होगा। शामलाती भूमि में ट्यूबवैल खुदाया हुआ है। शामलाती भूमि [illegible] कुछ भूमि में वृक्षों की कटाई होकर भूमि में पडे है परन्तु वादी के हिस्से की [illegible] प्रतिवादी संख्या [illegible] नहीं लेने देता

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है तथा अकेला ही लेने पर आमादा है। जिससे काफी विवाद भी बढ गया है। प्रतिवादी संख्या 2 इस दावा में भूमिधारी होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 जानबुझ करके विवाद कर रहे है तथा शामलाती भूमि को बैचान, हस्तांतरण आदि करने पर आमादा है। शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करने कहा तो दिनांक 11.02.2015 को तो इन्कार हो गये तथा कई लोगों ने समझाया परन्तु नहीं माने। इस प्रकार ऐसी स्थिती उत्पन्न कर दी है जिससे की न्यायालय के समक्ष यह बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना पड रहा है। भूमि एवं लगान का बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। बिनाय दावा दिनांक 11.02.2015 को ग्राम चावण्डिया में कृषि भूमि के बंटवाड़ा करने से इन्कार करने पर व बिना बंटवाड़ा किये शामलाती भूमि का बैचान व हस्तांतरण करने की धमकी देने पर बमुकाम चावण्डियाकलां में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन् सूचना/तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र, इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया जमाबन्दी सरहद मौजा चावण्डिया में कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 2-2 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 542 रकबा 0-1 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 543 रकबा 9-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल सम्वत् 2070-2073 आदि का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बरुबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक इकरारनामा मय नजरी नक्शा प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा चावण्डिया में कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 2-2 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 542 रकबा 0-1 बीघा गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 543 रकबा 9-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा माफिक इकरारनामा खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/03 दिनांक 06.01.2020 तथा पत्रांक/कोर्ट/2021/168 दिनांक 16.07.2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/3089 दिनांक 19.08.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की. सा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान बकील उभयपक्ष ने माफिक इकरारनामा मय [illegible] बाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली [illegible] पूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट [illegible] किया [illegible]। तहसीलदार, जैतारण के विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट [illegible] 485 रकबा 0.3399 हैक्टर (2-02

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बीघा) एवं खसरा नम्बर 543 में से खसरा नम्बर 543/1 रकबा 0.0728 हैक्टर (0–09 बीघा) नामान्तरकरण संख्या 1545 दिनांक 08.12.2020 के जरिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) भारत सरकार के नाम दर्ज होना अंकित किया गया है। अद्यतन भू–अभिलेख के अवलोकन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है लिहाजा अद्यतन भू–अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 542 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा एवं खसरा नम्बर 543 रकबा 1.4650 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का माफिक इकरारनामा /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक इकरारनामा, विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा चावण्डिया में कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा. खसरा नम्बर 543 रकबा 1.4650 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	चाँदमोहम्मद पुत्र जमाल खाँ कौम रंगरेज सा. कुशालपुरा खातेदार	543/2	0.0728	बा.दो.	0.45
		543/3	0.6597		
2	बरकत अली पुत्र जमाल खाँ कौम रंगरेज सा. कुशालपुरा खातेदार	543	0.0728	बा.दो.	0.45
		543/4	0.6597		
3	चाँदमोहम्मद पुत्र जमाल खाँ 1/2 बरकत अली पुत्र जमाल खाँ 1/2 कौम रंगरेज सा. कुशालपुरा खातेदार	542	0.0081	गै.मु. बैरा	-

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। इकरारनामा, विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 22/09/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०

–ः वादी ः–

1. बरकतअली पुत्र जमाल
जाति रंगरेज मुसलमान निवासी
चावण्डियाकलां तहसील जैतारण
जिला पाली।

बनाम

–ः प्रतिवादीगण ः–

1. चाँदमोहम्मद वल्द जमाल
जाति रंगरेज मुसलमान निवासी
चावण्डिया तहसील जैतारण
जिला पाली।
2. तहसीलदार, जैतारण तहसील
कार्यालय जैतारण जिला पाली।

मु0न0 ःरा0वा0 स0ः 138/2019 (18/2015)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त सामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा चावण्डिया में कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 543 रकबा 1.4650 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	चाँदमोहम्मद पुत्र जमाल खाँ कौम रंगरेज सा. कुशालपुरा खातेदार	543/2	0.0728	बा.दो.	0.45
		543/3	0.6597		
2	बरकत अली पुत्र जमाल खाँ कौम रंगरेज सा. कुशालपुरा खातेदार	543	0.0728	बा.दो.	0.45
		543/4	0.6597		
3	चाँदमोहम्मद पुत्र जमाल खाँ 1/2 बरकत अली पुत्र जमाल खाँ 1/2 कौम रंगरेज सा. कुशालपुरा खातेदार	542	0.0081	गै.मु. बैरा	-

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **22/09/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	2.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	20.00	मिजानः–	7.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested